


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लल्लूलाल चौबे बनाम लोक सूचना अधिकारी अपील संख्या 2022/692	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर) की टिप्पणी पत्रांक एफ.19(1)प्रकोष्ठ/संआज/2022/709 दिनांक 26.12.22 से प्राप्त जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक एफ.19(1)आरटीआई/संआज/2022/637 दिनांक 02.11.2022 के संलग्न जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। कृपया अपील खारिज कराने का श्रम करावे।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। लोक सूचना अधिकारी(अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर) द्वारा अपने पत्रांक एफ. 19(1)आरटीआई/संआज/2022 /637 दिनांक 02.11. 2022 के संलग्न जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर। </p>	